

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

ग्राम : कनबेरी  
तहसील : कटघोरा  
जिला : कोरबा (छ.ग.)

की

**पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट  
का कार्यपालक सारा**

-:: प्रेषित ::-

**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल**

व्यवसायिक परिसर, गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## १. प्रस्तावना:

मे. स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक J-11011/103/2008-IA (II) दिनांक 22 सितम्बर 2008 को फ़ैरो एलायज् प्लांट (2 x 5 एम.वी.ए.), कोल वाशरी (0.9 मिलियन टन/वर्ष) एवं पावर प्लांट (50 मेगा वॉट) को ग्राम- कनबेरी, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) में प्लांट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 4747/TS/CECB/2008 दिनांक 18/08/2008 द्वारा स्थापना सम्मति प्रदान की गई है। वर्तमान में स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 0.90 मिलियन टन/वर्ष कोल वॉशरी का संचालन किया जा रहा है, जबकि फ़ैरो एलायज् संयंत्र और पावर प्लांट की स्थापना कार्य प्रबति पर है।

वर्तमान में स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉल वॉशरी का 0.90 मिलियन टन/वर्ष से 4.5 मी.टन/वर्ष क्षमता विस्तार प्रस्तावित है जिसकी स्थापना विद्यमान स्थल संयंत्र स्थल ग्राम-कनबेरी, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) में किया जाना है। प्रस्तावित क्षमता विस्तारोपरांत संयंत्र कि उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार होगी:-

क्र.	संयंत्र	मौजूदा उत्पादन क्षमता	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	योग
1.	कोल वॉशरी (संचालित)	0.9 मि. टन/वर्ष	3.6 मि. टन/वर्ष	4.5 मि. टन/वर्ष
2.	फ़ैरो एलायज् (स्थापना कार्य प्रगति पर है)	2 x 5 एम.वी.ए. (सिलिको मैंगनीज 25000 टन/वर्ष)	-	10 एम.वी.ए.
3.	पावर प्लांट (स्थापना कार्य प्रगति पर है)	50 मेगा वॉट	-	50 मेगा वॉट

प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना हेतु कुल 50.0 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना की कुल लागत रु. 58.94 करोड़ है।

पायोनियर एनवायरो लेबोरेटरीस एंड कन्सलटेंट प्रा. लि., हैदराबाद, जो कि नाबेट (एन.ए.बी.ई.टी.), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा कोल वॉशरी परियोजनाओं के लिए ई.आई.ए. अध्ययन हेतु

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

अधिकृत है, के द्वारा प्रस्तावित कोल वॉशरी के क्षमता विस्तार के संचालनोपरांत पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित टॉर को समाविष्ट करते हुए पर्यावणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में निम्नलिखित का विस्तृत विवरण दिया गया है:-

- संयंत्र से 10 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में हवा, पानी, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव और सामाजिक –अर्थिक पर्यावरण सहित प्रमुख पर्यावणीय घटकों की स्थिति की विशेषता।
- प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न वायु उत्सर्जन, दूषित जल, ठोस अपशिष्ट और ध्वनि स्तर का आकलन।
- परियोजना के कारण होने वाले समस्त उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वृक्षारोपण इत्यादी को समाविष्ट करते हुए पर्यावरण प्रबंधन की योजना।
- परियोजना उपरांत पर्यावरण अनुविक्षण कार्यक्रम।

## 1.1 कच्चे माल की मात्रा : –

प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है:

क्र.	कच्चा माल	वार्षिक आवश्यकता (मि.टन प्रति वर्ष)	प्रदाय स्रोत
1.	आर.ओ.एम. कोल	3.6	एस.ई.सी.एल., कुसमुडा / दिपका / गेवरा (जॉब वर्क आधारित)

## 1.2 उत्पादन पद्धति : –

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर.ओ.एम.) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 20 प्रतिशत से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना में एक गीले प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप सरकुलेशन सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित होगा।

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

प्रस्तावित परियोजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर पानी एवं हवा की मदद से हैवी मीडिया बाथ में साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला, मिडलिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होंगे।

## 1.3 जल की आवश्यकता : -

प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए अनुमानित जल की खपत 1810 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक मेकअप एवं घरेलू जल की आपूर्ति संलग्न है। अनुमानित जल की पूर्ति हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार की श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	विवरण	मात्रा (घन मीटर प्रतिदिन)
1.	कोल वॉशरी हेतु मेकअप वॉटर कि मात्रा	1800
2.	घरेलू	10
3.	कुल	1810

## 1.4 दूषित जल उत्सर्जन :

प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड चैनल सर्किट का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। परियोजना से उत्पन्न निस्त्राव में केवल घरेलू दूषित जल का समावेश होगा जिसके उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट का बनाया जाना प्रस्तावित है।

विवरण	मात्रा
घरेलू	8.0 घन मीटर प्रतिदिन
कुल	8.0 घन मीटर प्रतिदिन

## 1.5 निस्त्राव जल की गुणवत्ता:

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

गुण	संद्रता
पी.एच.	7.0 - 8.5
बी.ओ.डी.	200 - 250
सी.ओ.डी.	300 - 400
टी. डी.एस.	800 - 900

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## २.० पर्यावरण का विवरण:

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

## 2.1 परवेशीय वायु गुणवत्ता

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 11 स्टेशनों पर पी.एम.<sub>2.5</sub>, पी.एम.<sub>10</sub>, एस.ओ.<sub>2</sub> एवं एन.ओ.<sub>x</sub> हेतु परवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण		सांद्रता
1.	पी.एम. <sub>2.5</sub>	:	14.6 से 50.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम. <sub>10</sub> *	:	26.2 से 92.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ. <sub>2</sub>	:	6.1 से 13.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ. <sub>x</sub>	:	6.8 से 21.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर

"\*": पी.एम.<sub>10</sub> में पॉलि एरोमैटिक हायड्रोकार्बन कि मात्रा बी.डी.एल. है

बी.डी.एल. : Below detection limit

## 2.2 जल गुणवत्ता

11 अलग अलग जगहों पर भूजल एवं अन्य सतही जल स्रोतों के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सभी जगहों पर जल पीने योग्य है; अर्थात् सभी नमूने आई.एस.: 10500 तथा आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

## 2.3 ध्वनि स्तर

11 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 39.40 डी.बी.(ए.) से 60.10 डी.बी.(ए.) पाया गया है।

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## 3.0 पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वावांकलन तथा रोकथाम:

### 3.1 वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वावांकलन:

प्रस्तावित विस्तार परियोजना से उत्सर्जित गैसेस में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.<sub>10</sub>), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ओक्साईड्स ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैटिरोलॉजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मेट्रियोलॉजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में अन्य औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन को भी समावेश किया गया है।

संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित विस्तार परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.<sub>10</sub>), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ओक्साईड्स ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता 0.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर, 1.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर एवं 3.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने की दिशा में प्रस्तावित स्थल से 450 मीटर पर पाई जावेगी।

विवरण	पी.एम. <sub>10</sub> (~g/m <sup>3</sup> )	एस.ओ <sub>2</sub> (~g/m <sup>3</sup> )	एन.ओ. <sub>x</sub> (~g/m <sup>3</sup> )
अध्ययन क्षेत्र अधिकतम वास्तविक सांद्रता	92.7	13.7	21.8
स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार परियोजना के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.6	1.4	3.9
संयंत्र के आपरेशन के दौरान शुद्ध परिणामी सांद्रता	93.3	15.1	25.7
राष्ट्रीय परवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (16.11.2009 के राजपत्र के अनुसार)	100	80	80

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.<sub>10</sub>), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ओक्साईड्स ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रीय परवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम है अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## 3.2 ध्वनि स्तर पर प्रभाव:—

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी. बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 17.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

## 3.3 जल पर्यावरण पर प्रभाव:—

प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड कूलिंग सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे भविष्य में स्थापित होने वाली कोल वॉशरी द्वारा औद्योगिक दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू दूषित जल का उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना के लिये हसदेव नदी से जल आहरण हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है। अतः इससे विस्तार परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

## 3.4 भू-पर्यावरण पर प्रभाव:—

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विस्तार परियोजना के स्थल लगभग 17.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## 3.5 सामाजिक- आर्थिक प्रभाव:-

प्रस्तावित विस्तार परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लागो को रोजगार अनेक अवसर बनेगें। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अतः प्रस्तावित विस्तार परियोजना से भविष्य मे क्षेत्र का विकास होगा।

## 4.0 पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रम:

परियोजना-उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
<b>1 जल तथा निस्त्रव कि गुणवत्ता</b>				
	जल गुणवत्ता	मासिक	ग्रॅब नमूने (24 घण्टे)	आई एस : 15000
<b>2 वायु गुणवत्ता</b>				
a.	स्टैक	ऑन-लाइन मासिक		एस. पी.एम. एस.ओ <sub>2</sub> , एन. ओ. <sub>x</sub>
b.	परवेशीय वायु गुणवत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी.एम <sub>10</sub> , पी.एम <sub>2.5</sub> , एस.ओ <sub>2</sub> , एन. ओ. <sub>x</sub>
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
<b>3 मौसमिय कारक</b>				
d.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु कि गति एवं दिशा
<b>4 शोर मापन</b>				
e.	परवेशीय ध्वनी स्तर	वर्ष में दो बार	1 घण्टे के अंतराल में 24 घण्टे लगातार	

## 4.0 अन्य अध्ययन:

परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

## 4.0 परियोजना के लाभ:

प्रस्तावित विस्तार परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेगें, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। साथ

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

ही आसपास के गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जावेगी।

## ७.० पर्यावरण प्रबंधन के उपाय:

### 7.1 वायु पर्यावरण:

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	इकाई	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	पी.एम. उत्सर्जन
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	50 मिलिग्राम/ घन मी

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू, एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेसन सिसटम लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढंका जाना तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जावेगा तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन किया जावेगा।

### 7.2 जल पर्यावरण:

प्रस्तावित विस्तार में क्लोज्ड सर्किट सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित विस्तार परियोजना से 8.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू निस्त्राव के रूप में दूषित जल उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स बनाये जावेगें। प्रस्तावित कोल वॉशरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

# स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

## 7.3 ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

## 7.4 भू पर्यावरण :

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में क्लोज्ड कूलिंग सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही-सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :

क्र.	ठोस अपशिष्टों का प्रकार	मात्रा	अपवहन व्यवस्था
1.	वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स	0.72 मि.टन/वर्ष	विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जावेगा।

## 7.5 ग्रीन बेल्ट :

प्रस्तावित परिसर में लगभग 17.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रु 0.50 करोड़ है

## 7.6 क्रेप सिफारिशो का क्रियानवयन :

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में क्रेप सिफारिशों का सख्ती से क्रियानवयन प्रस्तावित है।

\*\*\*\*\*